भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4065
(25 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत सृजित रोजगार

4065. सुश्री एस. जोतिमणि:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत कुल कितने कार्य-दिवस रोजगार सृजित किए गए थे;

(ख) क्या मनरेगा के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए डिजिटल निगरानी प्रणालियां जारी की गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा मनरेगा में मजदूरी दर संशोधन , कार्य-दिवसों में वृद्धि या कौशल-आधारित रोजगार सहित सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत सृजित श्रमदिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)वार ब्यौरा अनुबंध- । में दिया गया है।

(ख): इस योजना को नरेगा सॉफ्ट नामक एक संपूर्ण एकीकृत लेन-देन आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) प्लेटफॉर्म पर कार्यान्वित किया गया है। इसके माध्यम से योजना की आयोजना, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति से संबंधित सभी पहलुओं , जॉब कार्ड जारी करने , मांग की स्वीकृति, मस्टर रोल जारी करने, कार्य का मूल्यांकन, भुगतान की स्वीकृति और अंत में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)-सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभार्थी को भुगतान की निगरानी की जाती है।

पारदर्शिता और जवाबदेही इस योजना का मुख्य ध्यानाकर्षण क्षेत्र है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के

लिए सुदृढ़ प्रक्रिया अपनाई है। योजना के तहत जारी की गई निधि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए की गई विभिन्न निगरानी और मूल्यांकन व्यवस्थाओं का संक्षिप्त विवरण अनुबंध-।। में दिया गया है।

(ग): महात्मा गांधी नरेगा की धारा 6(1) के अनुसार, केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के लिए अकुशल कार्य हेतु मजदूरी दर निर्दिष्ट कर सकती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत अकुशल श्रमिकों के लिए मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) श्रमिकों को मंहगाई राहत के रूप में क्षतिपूर्ति प्रदान करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) के आधार पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी दरों में संशोधन करता है। संशोधित मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 01 अप्रैल से लागू होती है। वित्तीय वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2024-25 तक अधिसूचित मजदूरी दर में औसत वृद्धि लगभग 7% है। इसके अतिरिक्त, राज्य अपने स्वयं के संसाधनों से भारत सरकार की अधिसूचित मजदूरी दर के अतिरिक्त कामगारों को अतिरिक्त मजदूरी भी दे सकती है।

जहाँ तक रोजगार के गारंटीकृत दिनों में वृद्धि का प्रश्न है , महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार , जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के इच्छुक हैं, के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार अनिवार्य करता है। इसके अलावा , सूखा/प्राकृतिक आपदा-अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है।

वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को 50 दिनों का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों से अधिक) प्रदान करने का भी प्रावधान है , बशर्ते कि इन परिवारों के पास एफआरए अधिनियम, 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो। इसके अलावा , महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम , 2005 की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपनी स्वयं की निधि से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से अधिक अतिरिक्त श्रमदिवस प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के श्रमिकों के कौशल आधार को उन्नत करने के लिए, भारत सरकार ने दिसंबर 2019 में **"उन्नति परियोजना"** को शुरू किया। इस परियोजना का उद्देश्य महात्मा गांधी नरेगा योजना कामगारों के कौशल आधार को बढ़ाकर उनकी आजीविका में सुधार करना है ताकि वे स्वरोजगार अथवा मजदूरी रोजगार के माध्यम से वर्तमान आंशिक रोजगार से पूर्ण रोजगार प्राप्त कर सकें। इस परियोजना का लक्ष्य 02 लाख महात्मा गांधी नरेगा योजना कामगारों के कौशल आधार को बढ़ाना है।

इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय देश में गरीबी उन्मूलन हेतु ग्रामीण गरीब युवाओं के कौशल विकास के क्षेत्र में उनके लाभप्रद रोजगार के लिए अपनी व्यापक योजना दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) के अंतर्गत निम्नलिखित दो कल्याणकारी योजनाएं भी कार्यान्वित कर रहा है:

I. दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई): डीडीयू-जीकेवाई 15-35 वर्ष आयुवर्ग के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए एक रोजगार संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रम है। डीडीयू-जीकेवाई के दिशा-निर्देशों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए 50% और अल्पसंख्यकों के लिए 15% निधियां निर्धारित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त, इस योजना के अंतर्गत शामिल किए गए सामान्य श्रेणी सहित संबंधित श्रेणियों की एक तिहाई लाभार्थी महिलाएं होनी चाहिए।

II. ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई): आरएसईटीआई बैंक नेतृत्व वाला ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित प्रशिक्षण संस्थान है , जिसकी स्थापना प्रायोजक बैंकों द्वारा अपने जिलों में कौशल और उद्यमिता विकास के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय आरएसईटीआई भवनों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है और ग्रामीण गरीब अथ्यर्थियों के प्रशिक्षण लागत का वहन भी करता है। 18-45 वर्ष के आयु वर्ग का कोई भी बेरोजगार युवा जो स्वरोजगार या मजदूरी रोजगार करने की अभिरुचि रखता है और संबंधित क्षेत्र में कुछ बुनियादी ज्ञान रखता है , वह आरएसईटीआई में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकता है। कुछ प्रशिक्षित उम्मीदवार नियमित वेतनभोगी नौकरी/मजदूरी रोजगार भी प्राप्त कर सकते हैं।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वित्तीय वर्ष 2019-20 से 2023-24 तक महात्मा गांधी नरेगा योजना **के अंतर्गत सृजित श्रमदिवसों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र (यूटी)-वार विवरण**

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल सृजित श्रमदिवस (करोड़ में)				
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23	2023-24
1	आंध्र प्रदेश	20.02	25.87	24.15	23.95	25.55
2	अरुणाचल प्रदेश	0.86	1.28	1.59	1.51	1.61
3	असम	6.23	9.12	9.16	7.88	8.75
4	बिहार	14.07	22.61	18.03	23.65	22.05
5	छत्तीसगढ	13.62	18.41	16.92	13.25	12.77
6	गोवा	0.0034	0.0110	0.0095	0.0094	0.0043
7	गुजरात	3.54	4.82	5.68	4.66	4.93
8	हरियाणा	0.91	1.80	1.46	0.97	1.23
9	हिमाचल प्रदेश	2.59	3.36	3.71	3.08	3.44
10	जम्मू और कश्मीर	3.13	4.07	4.06	3.09	3.75
11	झारखंड	6.42	11.76	11.32	9.15	10.97
12	कर्नाटक	11.19	14.80	16.32	12.58	13.85
13	केरल	8.02	10.23	10.60	9.66	9.95
14	लद्दाख	0.19	0.21	0.19	0.20	0.20
15	मध्य प्रदेश	19.29	34.18	29.99	22.60	19.96
16	महाराष्ट्र	6.30	6.79	8.25	7.88	11.60
17	मणिपुर	2.34	3.31	3.03	0.75	1.50
18	मेघालय	3.70	3.84	3.94	2.89	3.25
19	मिजोरम	1.92	1.99	2.01	2.02	2.04

20	नागालैंड	1.38	1.80	1.93	1.97	1.79
21	ओडिशा	11.14	20.81	19.78	18.53	18.28
22	पंजाब	2.35	3.77	3.31	3.21	3.51
23	राजस्थान	32.86	46.05	42.43	35.71	37.52
24	सिक्किम	0.29	0.37	0.34	0.32	0.34
25	तमिलनाडु	24.85	33.39	34.57	33.47	40.87
26	तेलंगाना	10.71	15.80	14.58	12.19	12.09
27	त्रिपुरा	3.44	4.37	4.26	3.35	3.70
28	उत्तर प्रदेश	24.43	39.31	32.56	31.15	34.53
29	उत्तराखंड	2.06	3.04	2.43	2.06	1.97
30	पश्चिम बंगाल	27.23	41.40	36.42	3.79	0.02
31	अंडमान और निकोबार	0.022	0.026	0.011	0.013	0.012
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0	0	0	0	0.004
33	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0
34	पुदुचेरी	0.077	0.106	0.061	0.083	0.219
	कुल	**265.21**	**388.69**	**363.10**	**295.62**	**312.26**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध -।।

लोक सभा में दिनांक 25.03.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4065 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

i. **प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी):** महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के अंतर्गत मजदूरी भुगतान में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली अपनाई गई है। महात्मा गांधी नरेगा योजना श्रमिकों के बैंक /डाकघर खातों में मजदूरी का भुगतान राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनईएफएमएस)/इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (ईएफएमएस) के माध्यम से किया जाता है।

ii. **राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी सेवा (एनएमएमएस):** यह महात्मा गांधी नरेगा कार्यस्थलों (व्यक्तिगत लाभार्थी कार्यों को छोड़कर) पर श्रमिकों की उपस्थिति को जियो -टैग्ड फोटोग्राफ के साथ दिन में दो बार दर्ज करने में सक्षम बनाता है। यह ऐप कार्यक्रम पर नागरिक निगरानी बढ़ाने में सहायता करता है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में एक और कदम है।

iii. **क्षेत्र अधिकारी निगरानी दौरा एप्लिकेशन:** यह ऐप राज्य /संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों को अपने क्षेत्रीय दौरे के जांच -परिणामों को ऑनलाइन दर्ज करने की सुविधा प्रदान करता है। यह ऐप अधिकारियों को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा शुरू की गई सभी योजनाओं के लिए टाइम स्टैम्प्ड और जियोटैग्ड फोटोग्राफ रिकॉर्ड करने की भी सुविधा देता है। इसके अलावा, यह ऐप कार्यस्थल के दौरे की बाधारहित रिपोर्टिंग करने में मदद करता है। यह ऐप क्षेत्रीय दौरे के जांच -परिणामों को रिकॉर्ड करता है और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्रीय दौरे के परिणाम की रिपोर्ट दिखाता है।

iv. **जीआईएस आधारित योजना- अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग:** देश की सभी ग्राम पंचायतों के लिए संतृप्ति मोड में रिमोट सेंसिंग तकनीकी का उपयोग करके जीआईएस आधारित ग्राम पंचायत स्तरीय योजना (रिज टू वैली अप्रोच) तैयार करना।

v. **युक्तधारा : जीआईएस आधारित योजना उपकरण –** महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर जीआईएस आधारित योजना को सरल बनाने के लिए इसरो -एनआरएससी के सहयोग से भू-स्थानिक योजना पोर्टल "युक्तधारा" बनाया गया है।

vi. **सिक्योर- रोजगार के लिए ग्रामीण दरों का उपयोग करने हेतु अनुमान गणना हेतु सॉफ्टवेयर :-** इस एप्लीकेशन का उपयोग योजना के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की लागत की गणना का अनुमान लगाने के लिए किया जा रहा है।

vii. **जियो नरेगा**: इस ऐप को अंतरिक्ष तकनीकी का उपयोग करके बनाया गया है ताकि परिसंपत्ति निर्माण के "पहले", "निर्माण के दौरान" और "निर्माण के बाद" चरणों में इसे जियोटैगिंग करके परिसंपत्तियों के निर्माण को ट्रैक किया जा सके।

viii. **जलदूत ऐप:** देश भर में भूजल स्तर की निगरानी के लिए जलदूत ऐप बनाया गया है। जलदूत ऐप से ग्राम रोजगार सहायकों (जीआरएस) को वर्ष में दो बार (मानसून से पहले और मानसून के बाद) चयनित कुओं के जल स्तर को मापा जाता है।

ix. **जनमनरेगा ऐप :** यह ऐप महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के संदर्भ में नागरिकों को सूचना के सक्रिय प्रकटीकरण में मदद करता है। नागरिक जागरूकता योजना के कुशल, प्रभावी और पारदर्शी कार्यान्वयन की कुंजी है।

x. **लोकपाल ऐप-** महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न स्रोतों जैसे भौतिक, डिजिटल और जनसंचार माध्यमों से प्राप्त शिकायतों की सुचारू रिपोर्टिंग और वर्गीकरण, दिशानिर्देशों के अनुसार प्रत्येक मामले पर आसानी से नज़र रखने और समय पर आवंटन पारित करने तथा वेबसाइट पर तिमाही और वार्षिक रिपोर्ट को आसानी से अपलोड करने के लिए एक लोकपाल ऐप बनाया गया है।

xi. **सामाजिक लेखा परीक्षा:** अधिनियम के अधिदेश के अनुसार, मंत्रालय ने सभी ग्राम पंचायतों की वर्ष में कम से कम दो बार सामाजिक लेखा परीक्षा करने के लिए राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों के स्तर पर एक संस्थागत संरचना की स्थापना पर जोर दिया है। मंत्रालय के लगातार प्रयासों से कुल 27 राज्यों और 1 संघ राज्य क्षेत्र ने स्वतंत्र सामाजिक लेखा परीक्षा इकाइयां स्थापित की हैं।

इसके अलावा , कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नियमित और विशेष निगरानी, केंद्रीय स्तर के अधिकारियों की टीम द्वारा निगरानी , सामान्य समीक्षा मिशन टीमों द्वारा निगरानी दौरे , क्षेत्र अधिकारी ऐप के उपयोग के माध्यम से निगरानी की जा रही है। इसके अलावा, समय-समय पर राज्यों की राज्य-विशिष्ट समीक्षा भी की जाती है।